रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012022-232429
CG-DL-E-05012022-232429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943
No. 5] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2022

सं. 44/2015–2020

विषयः स्थायी शिकायत समिति में नई एजेंसियों को शामिल करने के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक–2015–20 के पैरा 9.08 में संशोधन।

फा.सं. 01/93/180/49/एएम17/पीसी–2 (बी)/ई–1729.–विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 9.08 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं: **(संशोधन मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है)**

प्रक्रिया पुस्तक का मौजूदा पैरा 9.08	प्रक्रिया पुस्तक का संशोधित पैरा 9.08
स्थायी शिकायत समिति	**स्थायी शिकायत समिति**
विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया संबंधी व्यापार और उद्योग की वास्तविक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है जिनके अध्यक्ष (1) मुख्यालय में महानिदेशक, विदेश व्यापार और (2) क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्राधिकारियों के प्रमुख होंगे। शिकायत समिति में भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ), निर्यात	**निर्यात और विदेश व्यापार** संबंधी व्यापार और उद्योग की वास्तविक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है जिनके अध्यक्ष (1) मुख्यालय में महानिदेशक, विदेश व्यापार और (2) क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्राधिकारियों के प्रमुख होंगे। शिकायत समिति में भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफआईईओ), निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड, विकास प्राधिकरण और सरकारी विभाग/तकनीकी प्राधिकारी/**सीमा शुल्क प्राधिकारी, जीएसटी प्राधिकारी,**

संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड, विकास प्राधिकरण और सरकारी विभाग/तकनीकी प्राधिकारी के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।	**डीजीएआरएम, बैंक (सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र), निर्यात निरीक्षण एजेंसियां/परिषद, ईसीजीसी, उद्योग आयुक्त (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र), निर्यात आयुक्त (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र), महाप्रबंधक (जीएम) जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी)** के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

2. <u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव</u>:

प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 9.08 में उद्योग के सदस्यों की परिवेदनाओं/शिकायतों के एक मंच पर निवारण हेतु अन्य प्रासंगिक केन्द्र/राज्य सरकार की एजेंसियों जैसे सीमा शुल्क/जीएसटी प्राधिकारी, बैंक, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र आदि को शामिल करके स्थायी शिकायत समिति की संरचना को संशोधित किया गया है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार

और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 5th January, 2022

No. 44 /2015-2020

Subject: Amendment in Para 9.08 of Handbook of Procedures – 2015-20 - Inclusion of new agencies in Standing Grievance Committee – reg.

F. No 01/93/180/49/AM-17/PC-2(B)/E-1729.— In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby makes amendment in Para 9.08 of Handbook of Procedures – 2015-20 as under: (**changes made are indicated in bold letters**)

Existing Para 9.08 of HBP	Revised Para 9.08 of HBP
Standing Grievance Committee For speedy redressal of genuine grievances of trade and industry pertaining to FTP and Procedure, Grievance Committees have been constituted chaired by (i) DGFT at Headquarters and (ii) head(s) of RA(s) in regional offices. Grievance Committee will include representatives of Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Export Promotion Councils/ Commodity Boards, Development Authorities, and Government Departments/ technical authorities as their members.	Standing Grievance Committee For speedy redressal of genuine grievances of trade and industry pertaining to **Export and Foreign Trade**, Grievance Committees have been constituted chaired by (i) DGFT at Headquarters and (ii) head(s) of RA(s) in regional offices. Grievance Committee will include representatives of Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Export Promotion Councils/ Commodity Boards, Development Authorities, and Government Departments/ technical authorities, **Custom Authorities, GST Authorities, DGARM, Banks (Public and Private Sectors), Export Inspection Agencies/Councils, ECGC, Industries Commissioner (State/UT), Export Commissioner (State/UT), General Manager (GM) District Industries Centre (DIC)** as their members.

2. **<u>Effect of this Public Notice</u>:**

Para 9.08 of HBP 2015-20 has been amended to revise the composition of Standing Grievance Committee by including other relevant Central/State Government agencies such as Customs/ GST Authorities, Banks, GM DICs etc. to address the grievances /complaints of the industry members at one platform.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade &

Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.05 19:21:57 +05'30'